



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन सं. - 1133 वर्ष 2026, अं./धा. 528 भा.ना.सु.सं.

भैरव्या उर्फ मोह. रईस एवं 3 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ,
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अबरार अली, अरबी हुसैन

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: शा.अ.

न्यायालय सं. -16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार पांडेय ने विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है, और इसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार पांडेय, राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रस्तुत आवेदन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 28, लखनऊ द्वारा, धारा 115(2), 352, 351(2), भा.न्या.सं., थाना-बाजार खाला, जिला-लखनऊ के अधीन, मुकदमा अपराध सं. 143/2025 से उत्पन्न वाद सं. 123792/2025, राज्य बनाम मोनू एवं अन्य में जारी किए गए आक्षेपित समन आदेश दिनांक 11.11.2025 को अपास्त करने, और समझौता-विलेख दिनांक 13.2.2026 के निबंधनों में, आक्षेपित आरोप-पत्र सं. 01/2025, दिनांक 16.9.2025 को भी, अपास्त करने के लिए दाखिल किया गया है।

4. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत वाद में मिथ्या फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि किसी गलतफहमी के कारण आवेदकगण के विरुद्ध यह प्र.सू.रि. दर्ज कराई गई थी, और तत्पश्चात्, पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता कर लिया है। समझौता-विलेख, 13.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्नक सं. 4 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई व्यथा नहीं है, और आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां एक निरर्थक कार्य है, क्योंकि विचारण का कोई परिणाम नहीं निकलता है, और यह आवेदकगण के उत्पीड़न के समान है, और इसलिए, आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां अपास्त की जानी चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान् अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है, और निवेदन करते हैं कि पक्षकारों ने एक समझौता-विलेख के माध्यम से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया है, और विरोधी पक्षकारों की वर्तमान आवेदकगण के विरुद्ध अब कोई अन्य व्यथा नहीं है, और आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अ. को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब, पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, इसका पता सर्वोत्तम रीति से अवर न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में ऐसे समझौते का सम्यक् रूप से सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का **निस्तारण** संबंधित न्यायालय को यह निदेश देते हुए किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को, उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित करते हुए नोटिस जारी करे, और तत्पश्चात्, समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करे यदि उपर्युक्त समझौते का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सत्यापन हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट, और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा, और आवेदकगण कार्यवाही अपास्त करवाने के लिए पुनः इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10. तीन महीने की अवधि के लिए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 28, लखनऊ द्वारा, धारा 115(2), 352, 351(2), भा.न्या.सं., थाना-बाजार खाला, जिला-लखनऊ के अधीन वाद अपराध सं. 143/2025, से उत्पन्न, वाद सं. 123792/2025, राज्य बनाम मोनू एवं अन्य, में जारी समन आदेश दिनांक 11.11.2025 के, और आक्षेपित आरोप-पत्र सं. 01/2025, दिनांक 16.9.2025 के अनुसरण में आरंभ की गई कार्यवाही, जहां तक आवेदकगण का संबंध है, स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह परीक्षा करने का निदेश दिया जाता है कि क्या सभी पक्षकार, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में पक्षकार हैं, और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि मूल समझौता-विलेख, यदि कोई है, तो उसकी एक

फोटोप्रति लेने के बाद, उसे आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता को लौटा दे।

मार्च 25, 2026

वी. सिन्हा

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”